चित्रकूट पुलिस

(1). “मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा “मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित “एंटी रोमियो स्क्वायड” टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 05.06.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में शुक्रवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया। पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑमरी का निरीक्षण कर आरक्षी/महिला आरक्षियों का अर्दली रुम किया गया। तत्पश्चात एक_पेड़_माँ_के_नाम के अवसर पर पुलिस अधीक्षक द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस लाइंस चित्रकूट में वृक्षारोपण करते हुए स्वस्थ वातावरण हेतु जनमानस को संदेश दिया गया।
इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री रामाशीष यादव, पीआरओ श्री प्रदीप पाल व अन्य अधिकारी/ कर्मचारीगण उपस्थित रहे।
(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा पुलिस कार्यालय में आये हुये फरियादियों की शिकायतों को सुनकर शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु सम्बन्धित प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष को आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
(4). आज दिनांक 05.06.2026 को विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय परिसर में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम के दौरान उपस्थित सभी पुलिसकर्मियों को अपने जीवन में अधिक से अधिक पौधे लगाने, उनकी सुरक्षा एवं देखभाल करने तथा पर्यावरण संरक्षण के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए प्रेरित किया गया। पौधरोपण कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि यदि प्रत्येक व्यक्ति को अधिक से अधिक पौधे लगाकर उसके संरक्षण का दायित्व निभाए, तो पर्यावरण संरक्षण के इस अभियान को जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है। इस अभियान का उद्देश्य जनमानस में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, भावनात्मक जुड़ाव के माध्यम से पौधरोपण को प्रोत्साहित करना तथा आगामी पीढ़ियों के लिए स्वच्छ और हरा-भरा वातावरण सुनिश्चित करना है।
(5). देश की राजधानी दिल्ली के मालवीय नगर स्थित 'होटल फ्लोरिश' में घटित भीषण अग्निकांड के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन एवं पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० अग्निशमन तथा आपात सेवा, लखनऊ के निर्देशों के अनुपालन में जनपद चित्रकूट में विशेष सतर्कता अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में दिनांक 04 जून 2026 को मुख्य अग्निशमन अधिकारी (CFO) श्री यदुनाथ सिंह के नेतृत्व में जनपद मुख्यालय स्तर पर विभिन्न होटलों एवं रेस्टोरेंटों का सघन निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया।
मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री यदुनाथ सिंह ने पूर्वाहन से ही सक्रिय होते हुए टीम के साथ क्षेत्र के प्रमुख प्रतिष्ठानों का स्थलीय निरीक्षण किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में स्थापित अग्निशमन उपकरणों की क्रियाशीलता, आपातकालीन निकास की उपलब्धता और आग के जोखिमों को न्यूनतम करना रहा।

निरीक्षण के दौरान मुख्य रूप से निम्नलिखित होटलों एवं रेस्टोरेंटों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई:
1. रामकृपा इन होटल कर्वी,
2. होटल कान्हा भवन रामघाट, सीतापुर,
3. होटल बिन्दीराम रामघाट सीतापुर,
4. सागर भवन यू०पी०टी० तिराहा,

5. कान्हा होटल एण्ड फैमिली रेस्टोरेन्ट बेडीपुलिया,
6. मदन ऊषा होटल रामघाट, सीतापुर,
7. ऊषा मदन होटल रामघाट, सीतापुर,

मे निरीक्षण के साथ-साथ आपदा प्रबंधन को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रतिष्ठानों में कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारियों के लिए व्यावहारिक प्रशिक्षण एवं मॉकड्रिल का आयोजन किया गया।

मुख्य अग्निशमन अधिकारी श्री यदुनाथ सिंह ने बताया आपातकालीन स्थितियों में जान-माल की हानि को रोकने के लिए केवल उपकरणों का होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि कर्मचारियों का मानसिक और व्यावहारिक रूप से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। कर्मचारियों को अग्निशमन उपकरणों के त्वरित संचालन, आपातकालीन पलायन की प्रक्रियाओं और प्राथमिक नियंत्रण के तौर-तरीकों से अवगत कराया गया है।

अग्निशमन विभाग द्वारा प्रतिष्ठान स्वामियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं कि वे अग्नि सुरक्षा मानकों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित करें। किसी भी स्तर पर पाई गई शिथिलता या लापरवाही के विरुद्ध नियमानुसार दंडात्मक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जागरूकता एवं निरीक्षण अभियान आगे भी निरंतर जारी रहेगा।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार तथा मॉनिटरिंग सेल प्रभारी उ0नि0 श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं जिला शासकीय अधिवक्ता श्री श्याम सुन्दर मिश्रा द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री शेषमणि शुक्ला द्वारा आज दिनांक 07.05.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 116/21 धारा 307 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त सुरेश पुत्र भैरोप्रसाद निवासी इटौरा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को 07 वर्ष का कठोर कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।
घटना का संक्षिप्त विवरण-
दिनाँक 01.09.2021 को वादी गरीबदास पुत्र तोवा निवासी इटौरा द्वारा थाना पहाड़ी पर सूचना दी गयी कि अभियुक्त सुरेश द्वारा उनके भतीजे शंकर पुत्र विशमभर को पेट में चाकू मारकर हत्या करने का प्रयास किया। इस सूचना पर थाना पहाड़ी पर मु0अ0सं0 116/21 धारा 307 भादवि0 पंजीकृत किया गया। जिसकी विवेचना तत्कालीन उ0नि0 श्री प्रवीण कुमार सिंह द्वारा सम्पादित की गयी। अभियुक्त को गिरफ्तार कर दिनाँक 14.11.2021 को आरोप पत्र मा0न्या0 में प्रेषित किया गया।

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली कर्वी श्री दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी प्रशान्त कुमार तथा प्रभारी मॉनिटिरिंग सेल प्रभारी श्री प्रभुनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी श्रीमती संगीता सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय

न्यायालय विशेष एससी/एसटी कोर्ट श्रीमती गीता सिंह द्वारा आज दिनाँक 05.06.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं द्वारा थाना कोतवाली कर्वी में पंजीकृत मु0अ0सं0 664/2010 धारा 323,504 भादवि0 व 3(1)X एससी/एसटी एक्ट के आरोपी अभियुक्त पप्पू उर्फ राजेश सिंह पुत्र मुन्नी भगत पटेल निवासी कपसेठी कोतवाली कर्वी जनपद चित्रकूट 03 वर्ष का सश्रम कारावास और 4000/- रूपए के अर्थदण्ड से दंडित किया गया।

(8). आज दिनाँक 05.06.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री चन्द्र शेखर, अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकान्त राय की उपस्थिति में पुलिस लाइन्स स्थित कान्हा सभागार में दिनाँक 08.06.2026,09.06.2026 व 10.06.2026 को होने वाली उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा डियूटी में पुलिस बल को ब्रीफ किया गया। उ0प्र0 पुलिस आरक्षी भर्ती परीक्षा डियूटी में लगे हुये समस्त अधिकारी/कर्मचारीगण तय समय से डियूटी स्थल पर पहुंचकर अपनी डियूटी का निर्वहन करेंगें और कोई भी पुलिसकर्मी मोबाइल फोन का प्रयोग ड्यूटी के दौरान नही करेगा। चैकिंग व फ्रीक्सिंग में लगा पुलिस बल HHMD के साथ शालीनता के साथ गहनता से प्रत्येक अभ्यर्थी की तलाशी करेगा व प्रतिबंधित वस्तुओं को किसी भी स्थिति में परीक्षा केन्द्र के अन्दर नहीं जाने देगा साथ ही परीक्षा के पूर्व ही सभी चिन्हित परीक्षा केन्द्रो के 500 मी0 के एरिया में कोई भी साइबर कैफे,फॉटोकॉपी की दुकान न खुले यह सुनिश्चित कर लें। कोई भी पुलिसकर्मी परीक्षा केन्द्र से खाना,पानी के लिए कही नही जायेगा खाना,पानी आपको ड्यूटी स्थल पर ससमय दे दिया जायेगा। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट,स्टेटिक मजिस्ट्रेट,केंद्र व्यवस्थापक,केंद्र प्रभारी पुलिस द्वारा उनके आवंटित केन्दों का भ्रमण कर लें किसी भी प्रकार कि परीक्षा केन्द्र पर अव्यवस्था न हो यह सुनिश्चित कर लें। ब्रीफिग के दौरान क्षेत्राधिकारी मऊ श्री फहद अली,क्षेत्राधिकारी राजापुर श्री राजकमल एवं क्षेत्राधिकारी फायर श्री यदुनाथ सिंह व अन्य पुलिस अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहें।

(9). सीसीटीएनएस योजना के अन्तर्गत उत्कृष्ट कार्यप्रदर्शन के आधार पर मुख्यालय तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश द्वारा मार्च 2026 के आंकड़ों के अनुसार जारी प्रदेश स्तरीय रैंकिंग में जनपद चित्रकूट पुलिस ने 100% अंक प्राप्त करते हुए वर्ष 2026 में लगातार चौथी बार प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। यह उपलब्धि चित्रकूट पुलिस की कार्यकुशलता, त्वरित निस्तारण और तकनीकी दक्षता का प्रमाण है।

इस उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए अपर पुलिस महानिदेशक, तकनीकी सेवाएं, उत्तर प्रदेश श्री नवीन अरोरा द्वारा पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूषकांत राय एवं सीसीटीएनएस डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर का दायित्व निभा रहे कंप्यूटर ऑपरेटर श्री शरद यादव के कार्यों की प्रशंसा की गयी है। मुख्यालय द्वारा टीमवर्क, उत्तरदायित्व व विभाग की प्रतिष्ठा बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों की सराहना की गई और भविष्य में भी इसी मनोयोग एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने की अपेक्षा व्यक्त की गई है।

सीसीटीएनएस क्या है?

सीसीटीएनएस (Crime and Criminal Tracking Network & Systems) एक एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली है, जिसके माध्यम से किसी भी अपराध से संबंधित रिपोर्ट, विवेचना की अद्यतन स्थिति, आरोपियों की गिरफ्तारी, केस डायरी से लेकर चालान प्रस्तुत होने तक की सभी आवश्यक कार्यवाही ऑनलाइन दर्ज की जाती है। यह प्रणाली पारदर्शी, तीव्र और प्रभावी पुलिस कार्यप्रणाली का महत्वपूर्ण आधार है।

सीसीटीएनएस रैंकिंग में शामिल प्रमुख पोर्टल इन सभी पोर्टलों पर श्रेष्ठ फीडिंग, समयबद्ध अपलोडिंग तथा सतत मॉनिटरिंग के आधार पर जनपद चित्रकूट को पहला स्थान प्राप्त हुआ-

1.CCTNS Portal के IIF Forms

2. Training Certificate Portal

3.Pared Portal
4.Field Unit Portal
5.PG Portal
6.Foot Patrolling Portal
7.CRIMAC Portal
8.ICJS Portal
9.Crime Analytical Portal
10.NAFIS Portal
पुलिस अधीक्षक चित्रकूट एवं अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल नेतृत्व में प्राप्त यह उपलब्धि जनपदीय पुलिस की तकनीकी दक्षता, अनुशासन और त्वरित निस्तारण की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।